बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 3/अ0प्र0–1–01/2015 1671 /पटना, दिनांक :– 5-11-21

श्री सुरेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति सेवानिवृत्त ने विभागीय अधिसूचना संख्या–2948–सह–पठित ज्ञापांक–2949 दिनांक 17.10.2019 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध पुर्नविलोकन अभ्यावेदन दिनांक 07.06.2021 दायर किया है।

2. श्री प्रसाद के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के कबलपुर चौक से शंकर सरैया पथ निर्माण में बरती गयी अनियमितता के लिए गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के रूप में इनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–2948–सह–पठित ज्ञापांक–2949 दिनांक 17.10.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से 25 प्रतिशत की कटौती अगले 10 वर्षो तक किये जाने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

3. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री प्रसाद के पत्रांक–0 दिनांक 07.06.2021 द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अभ्यावेदन में मूलतः कहा गया है कि मुख्य अभियंता–3 सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–1 को आंशिक प्रमाणित एवं आरोप संख्या–2 एवं 3 को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया, जिसके आलोक में द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। द्वितीय बचाव बयान से असहमत होते हुए आंशिक प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में पेंशन से 25 प्रतिशत की कटौती अगले 10 वर्ष तक किये जाने की शास्ति अधिरोपित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

5. प्रश्नगत मामलें में श्री प्रसाद के विरूद्ध दंडादेश दिनांक 17.10.2019 को अधिरोपित एवं संसूचित है, उक्त आदेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा लगभग 1 वर्ष 7 महीना के बाद पुर्नविलोकन अभ्यावेदन दिनांक 07.06.2021 दायर किया गया है। जो कि पुर्नविलोकन अभ्यावेदन, निर्धारित अवधि 45 दिनों के बहुत बाद में दिया गया है। साथ ही श्री प्रसाद द्वारा पुर्नविलोकन अभ्यावेदन विलम्ब से समर्पित करने का कोई यथेष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है एवं श्री प्रसाद द्वारा अपने अभ्यावेदन में जो तथ्य रखे गये हैं उन पर पूर्व में ही विभाग द्वारा विचार किया जा चुका है एवं इसके उपरान्त ही प्रमाणित आरोपों के लिए शास्ति अधिरोपित की गयी है।

अतः उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री सुरेश प्रसाद तत्कालीन सहायक अभियंता,

कृ0पृ0उ0

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–2948–सह–पठित ज्ञापांक–2949 दिनांक 17.10.2019 द्वारा अधिरोपित दंडादेश को यथावत रखते हुए इनके द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अभ्यावेदन दिनांक 07.06.2021 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3/11/2021

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–01/2015 1672/पटना, दिनांक :– 5-11-21

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 एवं 6, ग्रामीण कार्य विभाग/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

3/11/2021

विशेष सचिव